अतुल
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।
1-टी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ ।

दिनांक:लखनऊ:जनवरी30, 20

प्रिय महोदय,

पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्तों के पलायन का कारण बहुधा ड्यूटीरत पुलिस कर्मि की असावधानी, लापरवाही अथवा कतिपय प्रकरणों में संलिप्तता होती है। इस सम्बन्ध मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित निर्देश जारी किये गए हैं, जो अपराधियों को न्यायालय में पेश क के लिए ले जाने अथवा वापस लाने, एक कारागार से दूसरे कारागार ले जाने अथवा अस्पत ले जाते समय पूर्ण सतर्कता बरतने व समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में है।

परिपत्र संख्या-18/2009 दि0 22.7.09
परिपत्र संख्या-27/2008 दि0 4.3.08
परिपत्र संख्या-102/2008 दि0 12.11.08
परिपत्र संख्या-02/2007 दि0 9.1.07
परिपत्र संख्या-34/2007 दि0 2.7.07
परिपत्र संख्या-19/2006 दि0 8.6.06
परिपत्र संख्या-4/2005 दि0 7.2.05

2. ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में पारित परिपत्रों का भली-भाँति अध्ययन नहीं किया ग है जिससे उसके अनुपालन का स्तर संतोषजन नहीं है और अभिरक्षा से पलायन की घटनाओं सूचना प्राप्त हो रही है।

3. आप भिज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश अधीन श्रेणी के अधिकारियों की दण्ड एवं अप नियमावली-1991 की नियम-8 की उपधारा 4(के अनुसार पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्तों को उपेक्षापूर्ण भाग जाने देने के लिए पला अभियुक्त की सुरक्षा में व्यवस्थापित पुलिस कर्मियों को पदच्युति के दण्ड से दण्डित करने प्रावधान है परन्तु विधायी आज्ञाओं के अनुरूप सुरक्षा में व्यवस्थित दोषी पाये जाने पर पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा र है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस अभिरक्षा से पलायन की घटनाओं में कमी नहीं आ रही इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने से अपराधी पुलिस के चंगुल से बाहर तो होता ही और साथ ही साथ पुलिस की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. अपेक्षा की जाती है कि पुलिस अभिरक्षा से पलायन के मामलों में अभियुक्त की सुर में व्यवस्थापित पुलिस कर्मियों की उपेक्षा पाये जाने की दशा में अपराध पंजीकृत कर त्वा विवेचना के अतिरिक्त उनके विरूद्ध त्वरित विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और द पाये जाने पर निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

5. आप सहमत होंगे कि विभागीय कार्रवाई में विलम्ब से कार्रवाई का औचित्य ही सम हो जाता है । अतएव घटना के 30 दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली जाए व विभागीय कार्रवाई 90 दिनों के भीतर पूर्ण की जाए। विलम्बतम घटना के 150 दिन के भी दोषी पाये जाने पर दण्डादेश जारी कर दिया जाए।

6. दोषी पाये जाने पर जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आरोपी को यदि निर्धारित दण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य दण्ड से दण्डित किया जाता है तो अन्य दण्ड दिये जाने का विस्तृत कारण अंकित करते हुए इसकी आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रेषित की जाएगी। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक ऐसे प्रकरणों में प्रेषित आख्या पर अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए उसे मुख्यालय अग्रसारित करेंगे।

7. मेरा मानना है कि यदि पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्तों के पलायन के मामलों में विधिक कार्रवाई दृढ़तापूर्वक की जाएगी तो पुलिस अभिरक्षा से पलायन की घटनाओं में कमी अवश्य आएगी।

भवदीय

(अतुल)

समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।